

File No. NCCS/HQ/COMSEC/2021-22/III-Part(1)  
भारत सरकार/ Government of India  
संचार मंत्रालय/Ministry of Communications  
दूरसंचार विभाग/Department of Telecommunications  
राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र / National Centre for Communication Security  
बेंगलुरु - 560027/ Bengaluru – 560027

दिनांक/ Dated: 07.04.2025

### अधिसूचना/NOTIFICATION

विषय: कॉमसेक योजना के अंतर्गत ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी) और ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) के सुरक्षा प्रमाणीकरण के संबंध में।

राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र (एनसीसीएस), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.12.2024 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से पूर्व अधिसूचना के स्थान पर यह अधिसूचित किया जाता है कि ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी) और ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) उत्पाद 31.08.2025 तक स्वैच्छिक सुरक्षा प्रमाणीकरण (वीएससी) व्यवस्था के अंतर्गत रहेंगे। वीएससी अवधि के दौरान प्रशासनिक शुल्क और सुरक्षा परीक्षण मूल्यांकन शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तत्पश्चात, दिनांक 01.09.2025 से, ऐसे उत्पादों को कॉमसेक योजना के तहत आईटीएसएआर (ITSAR) के अनुपालन हेतु अनिवार्य रूप से प्रमाणित होना होगा।

2. दूरसंचार उपकरणों के इच्छुक ओईएम/आयातकर्ता/डीलर/उपयोगकर्ता <https://www.mtcte.tec.gov.in> पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक सुरक्षा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

सेवा में,

1. सभी ओईएम/डीलर/आयातकर्ता/आवेदक/टीएसटीएल- एनसीसीएस वेबसाइट के माध्यम से

सूचनार्थ प्रतिलिपि :

1. सदस्य(सेवाएँ), डिजिटल संचार आयोग
2. वरिष्ठ उप महानिदेशक, टीईसी
3. उप महानिदेशक (सुरक्षा आश्वासन), दूरसंचार विभाग मुख्यालय

**Subject: Security Certification of Optical Network Terminal (ONT) and Optical Line Terminal (OLT) under ComSec scheme -Reg.**

In supersession of the earlier notification vide letter of even number dated 06.12.2024, National Centre for Communication Security (NCCS), Department of Telecommunications, Govt of India hereby notifies that Optical Network Terminal (ONT) and Optical Line Terminal (OLT) products will be under Voluntary Security Certification (VSC) regime till **31.08.2025**. During the VSC period administrative fee and Security Test Evaluation Fee shall not be levied. Subsequently, from **01.09.2025**, such products shall be mandatorily certified for their compliance to ITSAR under ComSec scheme.

2. Interested OEMs/importers/dealers/users of telecom equipment may apply for Voluntary Security Certificate through an online portal accessible at <https://www.mtcte.tec.gov.in>

This issues with the approval of competent authority.

(राम कृष्ण माजेटि /Rama Krishna Majety)  
निदेशक (सुरक्षा प्रमाणीकरण)/Director (Security Certification)  
वरिष्ठ उप महानिदेशक कार्यालय, राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र/ O/o Sr. DDG, NCCS

To,

1. All OEMs/Dealers/Importers/applicants/TSTLs - through NCCS website

Copy for kind information to:

1. Member(S), DCC
2. Sr DDG, TEC.
3. DDG(SA), DoT HQ